रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3477] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 5, 2018/भाद्र 14, 1940
No. 3477] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 5, 2018/BHADRA 14, 1940

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2018

का.आ. 4290(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए का.आ. 3303 (अ), दिनांक 06.07.2018 के द्वारा तमिलनाडु राज्य तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण गठित किया है।

और जबकि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की उपधारा (2) के खंड (V) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिसूचना में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 11 पर तालिका के स्तंभ 3 में तदनुसार विशेषज्ञ सदस्य की स्थिति अब 'सदस्य सचिव' के स्थान पर 'सदस्य' के रूप में पढ़ी जाएगी।

[फा.सं. जे.17011/18/1996-आईए. III(पार्ट)]
रीतेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 5th September, 2018

S.O. 4290(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government have constituted the Tamil Nadu Coastal Zone Management Authority vide number S.O. 3303(E), dated 06.07.2018.

And whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely:—

In the said notification, in column 3 of the table at S. No. 11, the status of the corresponding Expert Member shall be now read as 'Member' in lieu of 'Member Secretary'.

[F.No.J-17011/18/1996-IA.III(pt.)]

RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.09.11 13:12:27 +05'30'